

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

3000(1)

निग/सारा-(पथ)नि0वि0-3/12

पटना, दिनांक :- 05/5/19

पथ प्रमंडल भागलपुर अंतर्गत विभिन्न तीन पथों-यथा-भागलपुर-अगरपुर कोतवाली पथ, त्रिमुहान-एकचारी-धनौरा-महगाँवा पथ एवं नवगछिया-तीनटंगा पथ में कराये जा रहे कार्यों की तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग के द्वारा जाँचोपरांत पत्रांक-1248 दिनांक-21.02.2012 द्वारा समर्पित तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन एवं निगरानी विभाग के ही पत्रांक-1392 दिनांक-29.02.2012 के आलोक में श्री विनोद बिहारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी-1, रा0उ0प0 प्रमंडल, मोतिहारी से उनके दायित्वों के अनुरूप विभागीय पत्रांक-5852(एस), दिनांक- 28.05.2012 से भागलपुर-अगरपुर कोतवाली पथ के कि०मी० 3.50 से 20.50 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष-2008-09 के प्लैंक में कराये गये मिट्टी कार्यों का Proper Sloping एवं Compaction नहीं पाये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री बिहारी ने पत्रांक- शून्य, दिनांक- 16.07.2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय तकनीकी समिति से कराई गई, उक्त विभागीय तकनीकी समिति के स्तर पर की गई समीक्षा के पश्चात् विभाग के स्तर पर भी मामले का विश्लेषण किया गया।

3. विषयांकित जाँच प्रतिवेदन के विश्लेषणोपरांत श्री बिहारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं विभागीय तकनीकी समिति के मंतव्य पर की गई समेकित विभागीय समीक्षा के उपरांत गठित आरोप को इस हद तक प्रमाणित पाया गया कि निगरानी विभाग के संयुक्त जाँच दल के द्वारा जब तथ्य को संज्ञान में लाया गया तब श्री सिंह के द्वारा मिट्टी कार्य का Proper Slope एवं Compaction नहीं होने संबंधित त्रुटि में अपेक्षित सुधार किया गया। इस प्रकार, प्रश्नगत सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में सहायक अभियंता के विहित कार्य-दायित्वों के अनुरूप कार्य न कर पथ के निर्माण एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने की हद तक श्री बिहारी का दायित्व परिलक्षित होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विभागीय समीक्षोपरांत श्री विनोद बिहारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी-1, रा0उ0प0 प्रमंडल, मोतिहारी को प्रमाणित पाये गये आरोप का दोषी पाते हुए उनके स्पष्टीकरण पत्रांक- शून्य, दिनांक- 16.07.2012 को अस्वीकृत कर उनके विरुद्ध निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-

(i) चेतावनी की सजा जिसकी प्रविष्टि श्री बिहारी के चरित्र-पुस्त में की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :-

प्रभारी पदाधिकारी(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव निगरानी विभाग के पत्रांक- परि0/पथ- 012/2010-1248(अनु0), दिनांक-21.02.2012 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :-

ह0/-

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :-

उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय web site पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :-

ह0/-

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :-

प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, निगरानी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/3/6/13/14 एवं श्री विनोद बिहारी, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी-1, रा0उ0प0 प्रमंडल, मोतिहारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :-

ह0/-

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :-

आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक :-

05/03/19

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

11/3